

✓ पाठ्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of Curriculum)

- (1) इसे बालकों को लोकतन्त्र के लिए तैयार करना चाहिए।
- (2) इसे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्त, उत्साहित विकसित और प्रेरित करना चाहिए।
- (3) इसे विद्यालयों के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच के अन्तर को समाप्त करना चाहिए।
- (4) इसे ऐसे विद्वान व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो खोज और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर सकें।
- (5) इसे विभिन्न अभिरुचियों, योग्यताएँ तथा क्षमताएँ रखने वाले सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए।
- (6) इन छात्राओं में ईमानदारी, निष्कपटता, मित्रता, इच्छा, निर्णय और सहयोग के गुणों का विकास करके उनके चरित्र को उन्नत बनाना चाहिए।
- (7) इसे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जहाँ बालक विचार करना सीख सकें और अपने विचार तर्क तथा निरीक्षण की शक्तियों का विकास कर सकें।
- (8) इसे छात्रों को धर्म, कलाओं, सामाजिक विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों और मानवशास्त्र के साथ धनिष्ठ सम्पर्क द्वारा मान्यताओं का निर्माण करने के योग्य बनाना चाहिए।

✓ पाठ्यक्रम के आधार (Bases of Curriculum)

पाठ्यक्रम के निम्नलिखित चार आधार हैं—

- (1) दार्शनिक आधार (Philosophical Bases)
- (2) सामाजिक आधार (Sociological Bases)
- (3) मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Bases)
- (4) वैज्ञानिक आधार (Scientific Bases)

(1) **दार्शनिक आधार (Philosophical Bases)**—पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न रूप से निर्धारित किया जाता है।

- (i) **आदर्शवाद**—यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देती है। इसलिए यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएँ, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित रखे जाने चाहिए।
- (ii) **प्रकृतिवाद**—यह वाद बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास को शिक्षा का ध्येय माना गया है। इसके लिए वे बालक को आत्मप्रकाशन के लिए अनियन्त्रित स्वतन्त्रता देने के पक्षपाती हैं। यह बालक को बालक मानकर चलता है। इसलिए प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश चाहते हैं, जिनके द्वारा बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास हो सकें। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, तैरना, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को स्थान मिलना चाहिए।

बल देती है। प्रयोगवादी पाठ्यक्रम का संगठन बालक की अभिरुचियों के अनुसार करते हैं।

डीवी ने बालक की चार स्वभाविक रुचियों को माना है—

- (a) बातचीत तथा विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि
- (b) जिज्ञासा की अभिरुचि
- (c) रचनात्मक अभिरुचि
- (d) कलात्मक अभिरुचि

डीवी ने इन रुचियों को प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का आधार बनाया है। इसलिए पाठ्यक्रम में कला, भाषा, कताई-बुनाई, दुकानदारी, वागवानी गणना, काष्ठकला आदि को स्थान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा ने पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक जीवन तथा उसकी क्रियाओं को माना।

(iv) यथार्थवाद—यह विचारधारा पाठ्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इसके द्वारा जीवन की व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान देता है जिनके द्वारा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सके।

(2) सामाजिक आधार (Sociological Bases)—वर्तमान युग में पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम के उन विषयों को स्थान मिलना चाहिए, जिनके अध्ययन से छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है अतः उसका सम्पूर्ण वातावरण वृहद् समाज का लघु रूप होना चाहिए। शिक्षा द्वारा समाज के दो कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। प्रथम-समाज की संस्कृति, अनुभवों आदि को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना द्वितीय-समाज की उन्नति एवं प्रगति। पाठ्यक्रम का निर्धारण इन दोनों कार्यों की पूर्ति हेतु होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में भाषा इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, नीतिशास्त्र आदि को स्थान मिलना चाहिए।

(3) मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Bases)—इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं तथा शक्तियों के अनुसार होना चाहिए। यह बालक को केन्द्र मानकर पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है।

(4) वैज्ञानिक आधार (Scientific Bases)—शिक्षा का मुख्य ध्येय पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। विज्ञान की चतुर्मुखी प्रगति ने शिक्षा के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित होकर बहुत से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

✓ पाठ्यक्रम के प्रकार (Types of Curriculum)

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों द्वारा पाठ्यक्रम के निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

- (1) विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम (Subject Centered Curriculum)
- (2) शास्त्रीय पाठ्यक्रम (Classical Curriculum)
- (3) बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम (Child Centered Curriculum)
- (4) जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम (Persistent Life Situations Curriculum)
- (5) कोर पाठ्यक्रम (Core Curriculum)
- (6) क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम (Activity Centered Curriculum)

(1) विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम—विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम निश्चित बौद्धिक विशिष्टताओं की एक सूची है। जिसका योग यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का दावा करता है इसमें छात्रों के लिए क्या अर्थपूर्ण है और वे क्या सीखना चाहते हैं? की उपेक्षा निर्धारित विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

(2) शास्त्रीय पाठ्यक्रम—यह शिक्षा के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण रखता है। इसके द्वारा आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मूलपाठ प्राचीन यूनान और भारत के विद्यालय में हुआ। इसमें शास्त्रीय भाषाओं, दर्शन, गणित तथा ज्योतिषशास्त्र पर अधिक बल दिया जाता है।

(3) बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम—आधुनिक युग में शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि बाल-केन्द्रित शिक्षा का स्थान बाल केन्द्रित शिक्षा ने लिया है। अब पाठ्यक्रम का आयोजन बालक को ध्यान में रखकर बनाकर दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक फ्लाम का मत है—अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भाँति स्थिर नहीं है। इस कारण इस पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित विषयवस्तु को आधार न बनाकर छात्र की रुचियों एवं आवश्यकताओं को केन्द्र बिन्दु बनाया जाता है। छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप में सीखने वाले को निहित है।

(4) जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम—जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन जारी रहने वाली स्थितियों में निहित है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के लिये स्तर पर समाज में पाता है।

जेम्स एम० ली ने जीवन की इन स्थितियों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया है—

- वैयक्तिक क्षमताओं के विकास से सम्बन्धित स्थितियाँ।
- सामाजिक साझेदारी के विकास से सम्बन्धित स्थितियाँ।
- वातावरण से सम्बन्धित कारकों तथा शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता से सम्बन्धित स्थितियाँ।

(5) कोर पाठ्यक्रम (Core Curriculum)—कोर पाठ्यक्रम विषय-केन्द्रित और बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। इसका प्रचलन अमेरिका के विद्यालय में बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण आधुनिक युग की सामाजिक अव्यवस्था है। पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करें और सामाजिक रूप से कुशल व्यक्तियों का निर्माण करें।

(6) क्रिया-प्रधान पाठ्यक्रम—क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम क्रिया या कार्य पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा जगत डॉ० जॉन डीवी का कर्णी है। यह पाठ्यक्रम इस कारण भी लोकप्रिय बना है क्योंकि यह बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। डीवी इस विश्वास में विश्वास नहीं रखता कि ज्ञान क्रिया का मार्गदर्शक है, बल्कि उसके अनुसार ज्ञान क्रिया का परिणाम है। उसका कथन है कि क्रिया का कार्य ज्ञान के स्रोत हैं। क्रिया अनुभव से पूर्व होती है। अतः उनके अनुसार अनुभव, ज्ञान या सीखना क्रिया के परिणाम हैं। इस प्रकार डीवी ज्ञान एवं अनुभव में कोई विशेष अन्तर नहीं मानता है। इस पाठ्यक्रम को अनुभव केन्द्रित के नाम से भी पुकारा जाता है।

लैंगिक प्रश्न तथा पाठ्यक्रम (Gender Questions & Curriculum)

पाठ्यक्रम का निर्माण लिंगीय भेदों को ध्यान में रखकर किया जाता है पाठ्यक्रम की महिला, पुरुष तथा बालकों सभी के लिए आवश्यकता तथा महत्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है—

- (1) शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया (शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम) हेतु आवश्यक।
- (2) पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा है।

- (3) पाठ्यक्रम के द्वारा लिंगीय मुद्दों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जागरूकता लाने का कार्य किया जाता है।
- (4) पाठ्यक्रम के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
- (5) पाठ्यक्रम के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।
- (6) पाठ्यक्रम व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है।
- (7) पाठ्यचर्या व्यक्ति को स्वावलम्बी तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है।
- (8) पाठ्यक्रम होने से निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है।
- (9) पाठ्यक्रम के द्वारा ही मापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्भव हो सकती है।
- (10) साथ-साथ मिलकर रहने और सोखने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है।
- (11) अध्यापक और छात्रों के मार्गदर्शन तथा जुड़ाव के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है।
- (12) राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि हेतु।
- (13) शिक्षा को सांउद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु महत्वपूर्ण।
- (14) अनुशासन तथा विद्यालयी वातावरण के समुचित संचालन हेतु आवश्यक।
- (15) पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण।
- (16) छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक।
- (17) पाठ्यक्रम के बिना औपचारिक शिक्षा सम्भव नहीं है।
- (18) पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व क्रिया हेतु भी है।

✓ लिंग तथा पाठ्यक्रम (Gender and Curriculum)

(1) जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त (Principle of Relationship with Life)—पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाता है उसका वास्तविक जीवन से सम्बन्ध होता है ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में प्रवेश करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पुराने ढंग की पाठशालाओं और मकतबों का इसलिए लोप हो गया है, क्योंकि उनमें जो विषय पढ़ाये जाते थे, उनका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं था।

(2) उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)—पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि उनमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए, वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस सम्बन्ध में नान ने लिखा है— "साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, परन्तु समग्र रूप से वह यह चाहता है कि उनको ये बातें सिखायी जाएं जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हों।"

(3) रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त (Principle of Creative Activity)—प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की कुछ न कुछ इच्छा या योग्यता अवश्य होती है। अतः पाठ्यक्रम को ऐसे अवसर अवश्य देने चाहिए जिनमें रचनात्मक कार्य की वह योग्यता व्यक्त हो सके। बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रेमान्ट का कथन है— "जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। उसमें निश्चित रूप में रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होने चाहिए।"

207

(4) खेल व कार्य की क्रियाओं के अन्तर्सम्बन्ध का सिद्धान्त (Principle of Inter-Relation of Play and Work Activity)—पाठ्यक्रम के निर्माण में खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अन्तर्सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्थान दिया जाना आवश्यक है। सब क्रियाओं का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। सामान्यतः खेल की क्रियाओं का प्रयोजन आनन्द समझा जाता है। कार्य की क्रियाओं के बारे में यह बात लागू नहीं होती है। यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को खेल के स्तर तक न पहुँचाया जाए, वरन् उनको इतना रुचिकर बनाया जाए, जिससे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में क्रो व क्रो का कथन है—“जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाएं, जिसमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो।”

(5) उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धान्त (Principle of Achievement of Wholesome Behaviour Pattern)—क्रो व क्रो का कथन है—“पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए, जिससे यह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता दे।” यदि बालक बड़े होकर दूसरों के साथ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो उनको अपने जीवन के प्रारम्भ में ही उचित और आवश्यक आचरण का विकास करना चाहिए। यदि बालक को बड़ा होकर अधिकारों व विशेषाधिकारों का उपयोग करना है, तो उसे यह शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वह उनका प्रयोग समाज के हित के लिए करे।

(6) जीवन सम्बन्धी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धान्त (Principle of Inclusion of Life Activities)—पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय एक ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उसमें वे सब क्रियाएँ आ जाएँ जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य, विचार ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को उन्नत बनायें क्योंकि हम लोकतन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक प्रारम्भ से ही लोकतन्त्रीय जीवन को धीरे-धीरे ग्रहण करते चला जाए। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए, जो लोकतन्त्रीय दृष्टिकोणों और धारणाओं को उन्नत बनायें।

(7) विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धान्त (Principle of Continual Process of Development)—किसी भी पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। क्रो व क्रो का कथन है—“वैज्ञानिक प्रगति, विभिन्न व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अन्तर्सम्बन्ध, प्रगतिशील आदर्श तथा आकांक्षाएँ—यह माँग प्रस्तुत करती है कि शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए।”

(8) अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त (Principle of the totality of Experiences)—शिक्षा की आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है, जिन्हें परम्परागत ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है, जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। वे क्रियाएँ विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों औपचारिक सम्पर्कों में चालू रहती हैं। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार—“यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सबसे आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धान्तिक विषयों से नहीं लिया जाता है वरन् इसमें अनुभवों की सम्पूर्णता निहित होती है।”

(9) विविधता और लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Variety and Elasticity)—माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है—“पाठ्यक्रम में काफी विविधता और लचीलेपन होना चाहिए, जिससे कि वैयक्तिक भिन्नताओं एवं रुचियों का अनुकूलन किया जा सके।” पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलेपन

प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991) ने बालिका शिक्षा पर निम्नलिखित सुझाव दिए—

- (1) अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए।
- (2) विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाए।
- (3) विभिन्न स्तरों पर महिला, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए।
- (4) महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए।

✓ लिंग, पाठ्यपुस्तक व पाठ्यवस्तु (Gender in Text and Context)

पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यपुस्तक में लिंग व लिंगभेद समाहित होता है। सामाजिक समस्या उपागम के द्वारा पाठ्य-पुस्तक की विषयवस्तु में सामाजिक मुद्दों, समस्याओं को स्थान प्रदान कर उन समस्याओं के विवेकपूर्ण समाधान की ओर प्रवृत्त किया जाता है। पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु का प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से अधिगमकर्ताओं पर पड़ता है और आगे उसी प्रकार के समाज का सृजन होता है। पाठ्य-पुस्तक की विषयवस्तु में लिंगीय भेदभावों सामाजिक कुरीतियों विशेषतः स्त्रियों से सम्बन्धित कुरीतियों पर ध्यान देना, बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि के विषय में अवगत कराकर उसकी समाप्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। पाठ्य-पुस्तक में महिलाओं के कर्तव्यों, विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व तथा भागीदारी से सम्बन्धित विषय-वस्तु तथा आवश्यकतानुसार चित्रों का संकलन किया जाना चाहिए जिससे लैंगिक भेदभावों में न्यूनता आए।

पाठ्यक्रम संरचना में लैंगिक भेदभावों को कम करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धान्त का पालन किया जाता है। इसके अनुसार बालक तथा बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है। अन्तःसम्बन्धित तथा सह-सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रणाली के द्वारा सभी विषयों को परस्पर सम्बन्धित करके पढ़ाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की रुचियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में की जाती है। पाठ्यक्रम के विषयों को अन्तःसम्बन्धी करके पढ़ाये जाने से बालिकाओं को उनकी रुचि के साथ-साथ आवश्यकता की पूर्ति करने वाले विषयों